# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017
## ग्राम पंचायत आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
## पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

**प्रकरण संख्या** : 25 / 15

श्रीमती अंजूमन कादरी पत्नी खुरशीद जाति मुसलमान निवासी खेडाजगपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास कोटा

(प्रतिवादीगण)

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92A राजस्थान टीनेन्सी एक्ट**

**निर्णय**

**दिनांक : 17.05.2017**

राज्य सरकार की ओर से संचालित न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आलनिया के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादीगण की ओर से पेश किये गये वाद पत्र के अनुसार वादिनी ग्राम खेडाजगपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा में निवास करती है और आराजी खसरा नं0 56 रकबा 0.60 हेक्टर भूमि पर वादिनी काफी समय से निवास कर रही है और पत्थर का कोट बनाकर काबिज है। वादिनी उक्त खसरा नम्बरान पर काबिज है और समय समय पर वादिनी को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा धारा–91 भू राजस्व अधिनियम–1956 तथा सपठित धारा–22 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के तहत नोटिस भी वादिनी को समय समय पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जारी किये गये थे और तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वादिनी पर शास्ति की राशि भी आरोपित की गई थी और वादिनी का उक्त आराजी पर निरन्तर व आज दिन तक भी कब्जा है। उक्त भूमि नगर विकास न्यास को हस्तांतरित हो गई है। इसलिए उसको प्रतिवादी क्रम–2 बनाया गया है। उक्त आराजीयात पर विगत कई वर्षों से काबिज रहने के बावजूद भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त खसरा नं0 56 रकबा 0.60 है0 भूमि को बिना वादिनी की सुनवाईके उक्त भूमि को राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित धारा–92 लेण्ड रेवेन्यू एक्त के आवाप्त की जा चुकी है, लेकिन उक्त आराजीयात पर वादिनी का आज भी कब्जा जारी है। इसके बाबत् मेरे पक्षकारान मुख्तारनामा इरफान कादरी द्वारा धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी दिया गया था। उसकी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात उक्त वाद प्रस्तुत करना पडा है। वादिनी को बिना सुने व बिना विधिक प्रक्रिया अपनायें बेदखल भी नहीं किया जा सकता और उक्त कृत्य को कानूनन मान्यता भी नहीं दी जा सकती है। वादिनी एक वयोवृद्ध महिला है तथा गरीब महिला है और वादिनी उक्त आराजीयात पर आज भी काबिज है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी आराजी ख0नं0 56 रकबा 0.60 है0 पर आवंटन किये जाने हेतु अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को निर्देशन देने की कृपा करे तथा वादिनी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनायें बेदखल नहीं करे, अन्यथा जो भी न्यायोचित हो वह भी वादिनी को दिलवाई जावे।

वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये –

| | |
|---|---|
| 1 | ग्राम खेडाजगपुरा, तहसील लाडपुरा के खाता नं0 नया 1 की नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 |
| 2 | नकल खसरा परिवर्तन ग्राम खेडाजगपुरा संवत् 2057 वर्ष 2000–01, संवत् 2060 वर्ष 2003–04, संवत् 2061 वर्ष 2004–05, संवत् 2058 वर्ष 2001–02 आराजी खसरा नं0 56 |
| 3 | तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा जारी भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस की फोटोप्रति कुल 3– प्रकरण सं0 478 / 2000, प्र0सं0 1647 / 2000, प्र0सं0 794 / 2002 |

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी पर वादीगण अपने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नांकित निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

| | |
|---|---|
| 1 | केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है।<br>(परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482) |
| 2 | किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है।<br>(रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391) |
| 3 | केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।<br>(राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78) |

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.05.2017 को ग्राम आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत आयोजित राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
न्याय आपके द्वार–2017
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–आलनिया

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017**

**ग्राम पंचायत मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा**

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

**प्रकरण संख्या** : 25 / 15

श्रीमती अंजूमन कादरी पत्नी खुरशीद जाति मुसलमान निवासी खेडाजगपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 91, 92A RTA
मुकदमा नम्बर : 25/ 15
निर्णय दिनांक : 17.05.2017

न्याय आपके द्वार–2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेखों के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 17–05–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री मोहनलाल प्रतिहार, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वादिनी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः वाद वादिनी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 17.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहनलाल प्रतिहार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

वाद के खर्चे

| वादी | | | प्रतिवादी | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रूपया | | | रूपया |
| 1. | वाद पत्र के लिये स्टाम्प | | 1. | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | |
| 2. | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | | 2. | अर्जी के लिये स्टाम्प | |
| 3. | अदर्शो के लिये स्टाम्प | | 3. | प्लीडर के लिये फीस | |
| 4. | ..... रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4. | साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | |
| 5. | साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | | 5. | आदेशिका की तामिल | |
| 6. | कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल | | 6. | कमिश्नर की फीस | |
| जोड | | | जोड | | |